

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक. २१/सिरोही/१५१८३

यह प्रमाणित किया जाता है कि परम प्रताप वेरीफेबल सोसायटी, सिरोही जिला सिरोही का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ ( राजस्थान अधिनियम संख्या २८, १९५८ ) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक ०१/०१/१९९३ माह जनवरी सन् एक हजार नौ सौ तेरहवें को में दिया गया ।

रजिस्ट्रार संस्थाएँ सिरोही  
रजिस्ट्रार संस्थाएँ

